फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

गण		अप्रार्थीगण
अजीत पुत्र मुकेश	बनाम	मुकेश पुत्र जयराम वगैरह

ण : राजस्व प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं. 55 / 2022

व हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
5.2022	यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वकील श्री बस्तीराम ने पेश किया। बहस वकील प्रार्थी की एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, शपथ पत्र एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे मामला पृथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है एवं ग्राम सिलारिया तहसील जायल के खसरा नं. 15 रकबा 0.9874 में प्रार्थी के हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि तथा राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन तथा भूमि का बैचान हस्तान्तरण यदि होता है तो अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी पक्ष को होगी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे प्रथम दृष्टयां मामला विवादित खसरा के विभाजन का प्रतीत होता है जिसमें दोनो पक्षों का हित निहित है। उक्त भूमि में सुविधा का संतुलन भी उभयपक्षकारान के पक्ष में प्रतीत होता है तथा उक्त भूमि का बिना विधिवत् बंटवारे के बैचान, हस्तान्तरण इत्यादि होता है तो अपूरणीय क्षति भी उभय पक्षकारान् को होगी। अतः उभय पक्षकारान् को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि मौजा सिलारिया तहसील जायल के खसरा नं. 15 रकबा 0.9874 हैक्टयेर भूमि का बैचान, हस्तान्तरण रहन दान आगामी तारीख पेशी तक नहीं करे तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाये रखे एवं अप्रार्थी सं. 8 भूमि का बैचान हस्तांतरण दान रहन आदि तस्दीक नहीं करे । अप्रार्थीगण को जबाब हेतु जरिये नोटिस तलब किया जावे। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी के तहत पक्षकारों की तलबी हेतु सम्मन मय रजिस्ट्रड डाक खर्च के साथ पेश करें। पत्रावली दिनांक 11/7/22 को पेश हो। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	
11/7/22	वकील प्रार्थी उप। प्रार्थी सं. 1 की ओर से मूल वाद में वकील श्री ओम प्रकाश गोदारा ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं 2 से 5 की ओर से पैरवी हेतु UT ली। शेष की तलबी इतंजार होकर दि 22/9/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	

Scanned with CamScanner

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज
16/8/23	पत्रावली प्रस्तुत दिनांक 28.07.23 को वकील प्रार्थी द्वारा फार्म NO 3 के मार्फत मौजा सिलाटिया की सम्वत् 2024–30 की नकल खतौनी ख०नं० 15, 207, 208 एवं 336 की छाया प्रति प्रस्तुत कि गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाव प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अतः मौजा जिलाटिया के ख०नं० 15 रकबा 0.9874 है० के संबंध में न्यायालय द्वारा दिनांक 25.5.22 को अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के विरुद्ध जारी अस्थाई निषेधाज्ञा अपास्त कि जाती है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 Rt Act 1955 एवं सपठित धारा 151 cpc खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार होकर न० से कम होकर रूल बाद के शामिल नत्थी हो। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner